सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00051

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 08/2019

1. मेजर सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति हरिजनसिख निवासी चक 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचयत 9 जैड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदयाल सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम

उपस्थित :

1. श्रीमती मंजू गुप्ता अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01
3. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02

:: आदेश :: **दिनांक :–29.08.2019**

निगरानी के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार है कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत 9 जैड द्वारा दिनांक 11.06.2019 को दिया गया नोटिस विधि विरूद्व एवं न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत दिया गया है। प्रार्थी पिछले 20 सालों से आबादी भूमि 9 जैड के 50X80 फुट पर मकान बनाकर रिहायश कर रहा है। इससे पूर्व इसी स्थान पर प्रार्थी का पिता मकान बनाकर पिछले 40 वर्षो से निवास करता आ रहा है। इस अहाता के पश्चिम दिशा में खाली प्लाट दीप सिंह का पूर्व दिशा में रास्ता आम 40 फुट, उत्तर दिशा में खाला पक्का, तथा दक्षिण दिशा में खाली प्लाट दीप सिंह का स्थित है। प्रार्थी ने 8–10 साल पूर्व ग्राम पंचायत को उक्त अहाता आवंटन करने/ विनियमित करने का प्रार्थना पत्र दिया तथा वह बतौर पत्रावली बनाई जाकर ग्राम पंचायत 9 जैड में अभी भी विचाराधीन है। उसके बाद प्रार्थी ने ग्राम पंचायत को काफी आवेदन पत्र दिये है। इस प्रकार प्रार्थी इस मकान में शान्तिपूर्वक बिना किसी रूकावट के उपयोग व उपभोग कर रहा है तथा सरकार को आवंटन राशि अथवा विनियमित राशि अदा करने के लिए तैयार है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 11.06.2019 को भूखण्ड का कब्जा नियमानुसार ग्राम पंचायत को देने के आदेश दिया है साथ में दर्ज किया है कि गुरदयाल सिंह गैरसायल संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत को दान में दिया गया भूखण्ड बतलाया गया है। गुरदयाल सिंह गैरसायल संख्या 2 इस भूखण्ड का कभी मालिक नहीं रहा है, बिना मालिक के ग्राम पंचायत को दान नहीं कर सकता है ऐसा दस्तावेजात भी ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं है ना ही गैरसायल संख्या 2 गुरदयाल सिंह के पास है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत प्रसार अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा की गई जांच में कभी सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अन्य ग्रामीणों के दबाव में आकर झुठी जांच रिपोर्ट पेश की गई है। ग्राम पंचायत के आदेशानुसार जगह ग्राम पंचायत की है तो भी प्रार्थी आवंटन/विनियमित करवाने का कानूनन अधिकारी है क्योंकि पिछले 50–60 सालों से प्रार्थी व उसके पिता का कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 11.06.2019 में प्रार्थी की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवंटन हेतु पत्रावली पर कोई गौर नहीं किया ना ही अपना रिकॉर्ड देखाा, ग्राम पंचायत के पास ऐसा इस अहाता का कोई रिकॉर्ड नहीं है , कोई स्वीकृत नक्शा नहीं है केवल मात्र पार्टीबाजी के कारण झूठा नोटिस दिया गया है। प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा की तरफ जो खाला है उस पर टाली के बड़े बड़े पेड़ थे जो पेड़ ग्राम वासियान द्वारा काटे जा रहे थे तो प्रार्थी ने श्रीमान जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर , श्रीमान तहसीलदार श्रीगंगानगर, श्रीमान विकास अधिकारी, श्रीगंगानगर को शिकायतें की जिस पर चक 9 जैड के काफी जटसिखान के खिलाफ कार्यवाही की गई जिसमे गैरसायल सख्या 2 गुरदयाल सिंह भी शामिल है। इस कार्यवाही से रंजिश रखते हुए ग्राम पंचायत पर दबाव बनाकर यह ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस दिलाया गया है। प्रार्थी विवादित स्थल पर पिछले 60 सालों से काबिज चला आ रहा है तथा उसका परिवार काबिज रहा है पक्के मकान बना रखे है, पशु वगैरा रखता है यदि प्रार्थी को ग्राम पंचायत के आदेशानुसार बेदखल करं दिया गया तो प्रार्थी को आर्थिक एवंम सामाजिक नुकसान होगा। लिहाजा प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत 9 जैड का आदेश दिनांक 11.06.2019 निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता के पास 50X80 का ग्राम पंचायत 9 जैड में अहाता है। जिसमें पिछले 40 वर्षो से मकान बनाकर निवास कर रहा है। दिनांक 11.06.2019 को ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस दिया गया जिसमें यह कहा गया कि गुरदयाल सिंह द्वारा उक्त विवादित अहाता दान दिया गया है। बिना टाईटल कोई दान नहीं दिया जा सकता। यदि गुरदयाल सिंह के पास मालिकाना हक, पट्टा होता तो वह दान कर सकता था कोई कच्चा कागज बनाकर कब्जा शुदा मकान से मुझे कैसे हटाया जा सकता है। उक्त विवादित प्लाट वर्ष 2014 में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 द्वारा दान देना बताया जबकि नोटिस 5 वर्ष बाद दिया गया जिसका कोई आधार नहीं है। मैने गुरदयाल सिंह की नहर किनारे 100 पेड़ काटने , डिग्गी बेचने की शिकायत की एवं एससी/एसटी एक्ट में एफ.आई.आर. कराई जिस कारण रंजिश वंश पिछे की तारीख में उक्त कार्यवाही की गयी। दिनांक 05.02.2016 को मैने जिलाधीश महोदय को आवेदन दिया एवं ग्राम पंचायत को उससे पूर्व आवंटन के लिए फाईल पेश की थी। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अहाता आवंटन नहीं करने पर मैने जिलाधीश महोदय को आवंदन दिया था। दिनांक 11.06.2019 का नोटिस इस आधार पर दिया कि यह गुरदयाल सिंह का अहाता है। 40 वर्षो से मेरे पिता व 20 वर्षो से मै इस अहाता पर काबिज हूँ। मैने उक्त आहाता के आवंटन/पट्टे हेतु ग्राम पंचायत को वर्ष 2016 को आवेदन किया । पिछले 2 वर्षो तक कार्यवाही नहीं होने पर मैने पंचायत समिति इत्यादि में भी आवेदन किया। दिनांक 25.05.2019 को एक रिपोर्ट मंगवायी गई। विकास अधिकारी के दिनांक 25.05.2019 के पत्र में कब्जे का प्रमाण बताया व ग्राम पंचायत के जबाब में 2018 में कब्जा करने का तथ्य अंकित है। मेरी निगरानी के विचाराधीन रहते हुए कब्जा लेने की कार्यवाही बतायी जा रही है। अतः मै आज भी विवादस्पद भूखण्ड पर काबिज हूँ। ग्राम पंचायत में मेरे पट्टे की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः पंचायत को पट्टे के आवंटन बाबत निर्देश जारी किए जावें एवं 11.06.2019 का नोटिस खारिज फरमावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि इसी न्यायालय के प्रकरण सख्या 02/2002 में निगरानीकर्ता प्यारा सिंह को 20 जैड का निवासी बताया है। निगरानीकर्ता प्लाट हड़पने के लिए कार्यवाही कर रहा है। निगरानीकर्ता को इसी गांव 9 जैड में एक अन्य प्लाट मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत मिला हुआ है। पंचायत ने कब्जा लेने का बोर्ड लगाया था जिसे निगरानीकर्ता

ने हटा दिया था जिसके लिए इनके विरूद्व कार्यवाही चल रही है। पिछले 40 वर्षो से कोई कब्जा नहीं है पूर्व में प्लाटों पर अतिक्रमण करते रहे है। विवादित प्लाट गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02 द्वारा स्कूल/आंगनबाडी के लिए दान दिया है। ग्राम पंचायतके पास अन्य भूमि नहीं है इसलिए हमने उक्त जगह दान दी है। उक्त विवादित प्लाट पैतृक सम्पति थी जिसका कोई पट्टा नहीं था कब्जा हमारा था। हमने ग्राम पंचायत को कब्जा दिया था। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 29.07.2019 को अतिक्रमी का कब्जा पुनः हटा दिया है। सार्वजनिक उदेशार्थ भूमि दान में मिली है। निगरानीकर्ता अतिक्रमी है। दिनांक 11.06.2019 का नोटिस सही है पूरे अधिकार से दिया है। अब उक्त विवादित प्लाट की ग्राम पंचायत मालिक है। अतः निगरानी अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावें ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है। उक्त विवादित भूमि पर 60 वर्षो का कब्जा बताया जा रहा है उतना पुराना कब्जा भी नही है क्योंकि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सख्या 02/2002 जो इसी न्यायालय का प्रकरण था जिसमें निगरानीकर्ता प्यारा सिंह को 20 जैड का निवासी बताया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.06.2019 को जारी नोटिस में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत 9 जैड को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर